तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>निगरानी / टीए / 2026 / 833 / अजमेर</u>** **रतनलाल बुगालिया बनाम केसर देवी व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
<u>29-4-2026</u>	**<u>एकलपीठ</u>** **<u>डॉ. शिव प्रसाद सिंह, सदस्य</u>** **<u>उपस्थित :-</u>** श्री शिवा पंवार, अभिभाषक प्रार्थी श्री हरदत्त सहारण, अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 1 —— **<u>निर्णय</u>** **1-** हस्तगत् निगरानी याचिका राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 230 के अन्तर्गत न्यायालय उपखंड अधिकारी किशनगढ़ जिला अजमेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 22-12-2025 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। **2-** निगरानी अनुसार संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अप्रार्थी संख्या-1 वादिया द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ जिला अजमेर न्यायालय में एक राजस्व वाद पत्र अन्तर्गत धारा-53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत वादपत्र में वर्णित वादग्रस्त आराजियात बाबत् प्रस्तुत किया। दौराने वाद प्रार्थी प्रतिवादी रतनलाल बुगालिया की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी दिनांक 02-6-2025 को प्रस्तुत किया जिस पर वादी द्वारा जवाब प्रस्तुत करने पर उक्त प्रार्थना पत्र बहस में नियत है। उक्त प्रार्थना पत्र के विचाराधीन रहते प्रार्थी की ओर से एक अन्य प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी दिनांक 22-12-2025 को प्रस्तुत कर वादपत्र को निरस्त करने का निवेदन किया, जिसे न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ ने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी पेश किये जाने की दिनांक 22-12-2025 को ही खारिज कर दिया। उक्त आदेश से व्यथित होकर प्रार्थी द्वारा यह निगरानी मंडल में प्रस्तुत की गई है। **3-** उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। **4-** विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि प्रार्थी द्वारा विचारण न्यायालय में वाद के विचाराधीन रहते प्रार्थना	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>निगरानी / टीए / 2026 / 833 / अजमेर</u>** **रतनलाल बुगालिया बनाम केसर देवी व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी दिनांक 22–12–2025 को पेश किया गया जिसे विचारण न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र पेश किये जाने की तारीख को ही खारिज कर दिया गया एवं प्रार्थना पत्र पर मार्क किया कि "Rejection application as already 7Rule11 application pending." आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का प्रार्थना पत्र वाद की सुनवायी के किसी भी स्टेज पर लगाया जा सकता है एवं प्रार्थना पत्र आदेश–7 नियम–11 सीपीसी का लम्बित होते हुये भी एक अन्य प्रार्थना पत्र आदेश–7 नियम–11 सीपीसी का अन्य विधिक बिन्दू पर प्रस्तुत किया जा सकता है, जो सीपीसी के प्रावधानों के तहत अनुमत है। यदि प्रकरण में दो प्रार्थना पत्र आदेश–7 नियम–11 सीपीसी पेश किये गये हैं तो क्रमबद्ध या एक साथ निस्तारण किया जा सकता है लेकिन विचारण न्यायालय ने प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी दिनांक 22–12–2025 को पेश किये जाने की दिनांक को ही खारिज किये जाने में विधिक त्रुटि की है तथा पीठासीन अधिकारी तथा रीडर द्वारा भी दिनांक 22–12–2025 को उक्त आदेश से अवगत नहीं करवाया गया है, जो न्यायालय की कार्यशैली पर प्रश्न उठना स्वाभाविक है। उक्त विधिक स्थिति पर पुनः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने का अधिकार ही समाप्त हो गया है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार फरमायी जाकर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ का आदेश दिनांक 22–12–2025 निरस्त किया जावे तथा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 दिनांक 22–12–2025 को रिकार्ड पर लेकर सुनवायी के आदेश विचारण न्यायलय को दिये जाने का निवेदन किया। **5–** उपरोक्त तर्को का विरोध करते हुये विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 1 ने बहस में कथन किया कि वादग्रस्त आराजीयात संयुक्त खातेदारी भूमि में होकर वादिया की खातेदारी भूमि का विधिवत बंटवारा करवाने का वाद पेश किया है। वादीया का वाद वर्ष 2007 से लम्बित है जिसमें 18 वर्ष बाद भी वाद का अन्तिम रूप से निस्तारण नहीं हुआ है। बंटवारे दावे में प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 जाब्ता दीवानी दिनांक 02–6–2025 को पेश किया गया, जो बहस सुनवाई में नियत है। वाद में प्रार्थी द्वारा पुनः प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 जाब्ता दीवानी दिनांक 22–12–2025 को पेश किया है, जो मात्र वाद को	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>निगरानी / टीए / 2026 / 833 / अजमेर</u>** **रतनलाल बुगालिया बनाम केसर देवी व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	लंबित रखने के उद्देश्य से निराधार तथ्यों को आधार बनाकर प्रस्तुत किया है, जिससे उक्त प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्ट्या ही निरस्तनीय है। वादी द्वारा वाद पुष्ट व संबल आधारों पर प्रस्तुत किया है जो पूर्णतया विधिसम्मत है। विचारण न्यायालय ने प्रार्थना पत्र को अस्वीकार किया है, जिसमें कोई हस्तक्षेप योग्य त्रुटि नहीं है। अतः निगरानी सारहीन होने से खारिज की जावे। **6–** उभय पक्ष के अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं आक्षेपित निर्णय दिनांक 22–12–2025 का आद्योपांत अवलोकन व अध्ययन किया गया। **7–** प्रकरण में प्रार्थी प्रतिवादी द्वारा दिनांक 02–6–2025 को प्रस्तुत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी प्रार्थना पत्र वर्तमान में बहस व निर्णय में नियत है। उसके द्वारा दिनांक 22–12–2025 को अन्य प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी भी प्रस्तुत किया गया जिसे न्यायालय ने पूर्व से दायर प्रार्थना पत्र लम्बित होना उल्लेखित करते हुये प्रस्तुत दिनांक को ही खारिज कर दिया गया। दोनों प्रार्थना पत्रों के अवलोकन अनुसार ये भिन्न–भिन्न आधार पर प्रस्तुत किये गये हैं, अतः हमारा अभिमत है कि विचारण न्यायालय को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को विवेचन व स्पीकिंग आदेश के साथ पुनः निर्णीत किया जाना चाहिए। अतः विचारण न्यायालय का निर्णय दिनांक 22–12–2025 निरस्तनीय है। **8–** विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से परिलक्षित है कि मूल दावा बँटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा वर्ष 2007 से लम्बित होकर इसमें साक्ष्य उपरांत दिनांक 01–4–2015 को प्रारम्भिक डिक्री जारी होकर दावा विगत 8–9 वर्षों से प्राप्त तकासमा प्रस्ताव पर बहस एवं अंतिम निर्णय में ही चल रहा है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भी प्रदत्त आदेश दिनांक 09–4–2024 से दावे को एक वर्ष की समयावधि में निर्णीत करने का निर्देश दिया गया है। अतः पूर्व से ही दावे में अत्यधिक विलम्ब होने व माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश के क्रम में विचारण न्यायालय को निर्देशित है कि विचाराधीन दोनों प्रार्थना पत्रों को दोनों पक्षों का पक्ष सुनते हुये 20 दिवस की समयावधि में निस्तारित करे तथा बिना समुचित आधार प्रकरण की सुनवाई में स्थगन न दिया जावे।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>निगरानी / टीए / 2026 / 833 / अजमेर</u>** **रतनलाल बुगालिया बनाम केसर देवी व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	9– विवेचन अनुसान निर्णय स्वरूप निगरानी स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ जिला अजमेर के निर्णय दिनांक 22–12–2025 को अपास्त किया जाकर प्रकरण विचारण न्यायालय को निर्णय के पैरा संख्या 7 व 8 निर्देश अनुसार दोनों प्रार्थना पत्रों आदेश 7 नियम 11 सीपीसी को विवेचन व स्पीकिंग आदेश के साथ निस्तारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता है। पत्रावली निर्णीत शुमार रहे। विचारण न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रति के साथ लौटायी जावे। उभय पक्ष को सूचित किया जाता है कि वे प्रकरण की सुनवाई हेतु उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ न्यायालय में दिनांक **<u>18–5–2026</u>** को उपस्थित रहें। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(डॉ. शिव प्रसाद सिंह)** **सदस्य**	